



WORLD HUMAN RIGHTS RESEARCH COUNCIL (WHRRC)

DEDICATED TO HUMAN RIGHTS

SR NO: 0101082026

DATE: 01 AUG 2026

प्रति,
समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य समिति के पदाधिकारी
विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद्, दिल्ली

विषय: संगठन द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना के संबंध में कारण बताओ नोटिस।

महोदय/महोदया,

यह संज्ञान में आया है कि संगठन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न प्रशासनिक निर्देशों एवं आदेशों के पालन में आपके स्तर पर अपेक्षित सहयोग एवं अनुपालन नहीं किया गया है। यह स्थिति संगठन के अनुशासन, कार्यप्रणाली एवं दायित्व निर्वहन की भावना के विपरीत प्रतीत होती है।

उक्त नोटिस के माध्यम से, कोई भी अनुशासनात्मक कारवाई करने से पहले संगठन द्वारा आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर अपना स्पष्ट एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें—

1. राज्य कार्यकारिणी के गठन के संबंध में: सभी प्रदेश अध्यक्षों को व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश एवं आधिकारिक व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से अनेक बार विधिवत निर्देश जारी किए गए थे कि वे दिनांक 31 अगस्त 2026 तक अपनी 10 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर उसकी सूची संगठन की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर उपलब्ध कराएं। यदि आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया है अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो यह संगठनात्मक दायित्वों के प्रति आपकी उदासीनता एवं निष्क्रियता को प्रदर्शित करता है। अतः स्पष्ट करें कि उक्त आदेशों की अवहेलना के कारण आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करते हुए आपको प्रदेश अध्यक्ष पद से प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर पदावनत क्यों न किया जाए।
2. अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन पंजीकरण के संबंध में: संगठन द्वारा सभी राष्ट्रीय एवं राज्य समिति के पदाधिकारियों को बारबार निर्देशित किया गया था कि- चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों अथवा नहीं, प्रत्येक पदाधिकारी के लिए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों का संचालन एवं व्यवस्थाएँ मुख्यतः पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त पंजीकरण शुल्क के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। यदि आपने आज तक अपना पंजीकरण पूर्ण नहीं कराया है, तो यह संगठन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करता है। अतः स्पष्ट करें कि संगठन के आदेशों की अवहेलना के कारण आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करते हुए आपको वर्तमान पद से पदावनत क्यों न किया जाए।





WORLD HUMAN RIGHTS RESEARCH COUNCIL (WHRRRC)

DEDICATED TO HUMAN RIGHTS

3. अनिवार्य मासिक गतिविधियों के संबंध में: संगठन द्वारा यह स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रत्येक राज्य एवं जिला इकाई द्वारा प्रतिमाह कम से कम एक जागरूकता शिविर, तथा एक विशेष दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। यदि आपके अथवा आपकी टीम द्वारा इन अनिवार्य गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया है अथवा उसकी कोई रिपोर्ट संगठन को प्राप्त नहीं हुई है, तो यह आपके संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का द्योतक है। अतः स्पष्ट करें कि उक्त निर्देशों की अवहेलना के कारण आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आपको वर्तमान पद से पदावनत क्यों न किया जाए।

आप अपना उत्तर अपने आधिकारिक लेटरहेड पर तैयार कर, हस्ताक्षरित एवं स्कैन प्रति के रूप में दिनांक 05 अगस्त 2026, सायं 5:00 बजे तक अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी से संगठन की आधिकारिक ई-मेल INFO@WHRRRC.ORG पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है तथा आपकी निष्क्रियता एवं आदेशों की अवहेलना स्वीकार है। ऐसी स्थिति में संगठन उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। आपका स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण को राष्ट्रीय अनुशासनात्मक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर समिति आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस अथवा अन्य माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय अनुशासनात्मक समिति द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं सुनवाई के आधार पर लिया गया निर्णय अंतिम एवं संगठन पर बाध्यकारी होगा। समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल सम्मिलित है।

भवदीया,

अधिवक्ता, रंजना दीक्षित
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव
विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद्, दिल्ली





WORLD HUMAN RIGHTS RESEARCH COUNCIL (WHRRRC)

DEDICATED TO HUMAN RIGHTS

SR NO: 0101082026

DATE: 01 AUG 2026

To:
**All National and State Committee Office Bearers
World Human Rights Research Council, Delhi**

Subject: Show Cause Notice for Non-Compliance with the Directions Issued by the Organization

Dear Sir/Madam,

It has come to the notice of the Organization that the administrative directions and orders issued from time to time have not been complied with at your level, and the expected cooperation and adherence have not been demonstrated. Such conduct appears to be contrary to the discipline, functioning, and spirit of responsibility expected within the Organization.

Through this notice, and before initiating any disciplinary proceedings, the Organization is providing you with an opportunity to present your explanation. You are therefore directed to submit a clear, factual, and specific explanation regarding the following matters:

- 1. Regarding the Constitution of the State Executive Committee:**
All State Presidents were repeatedly instructed through personal WhatsApp messages as well as official WhatsApp groups to constitute a **10-member State Executive Committee** and submit the list to the Organization's WhatsApp Helpline by **31 August 2026**. If, as of today, you have failed to comply with the said directions or have not submitted any response whatsoever, such conduct reflects negligence and inactivity towards your organizational responsibilities. Accordingly, explain why disciplinary action should not be initiated against you for disobeying the Organization's directions and why you should not be demoted from the post of **State President to State Vice President**.
- 2. Regarding Registration for the International Convention:**
The Organization repeatedly instructed all National and State Committee office bearers that, irrespective of whether they intended to attend the **International Convention, Delhi** in person, registration for every office bearer was mandatory. It was also clarified that the management and arrangements for such national and international events are primarily financed through the registration fees received from office bearers. If you have not completed your registration to date, it raises serious concerns regarding your commitment to the Organization.





WORLD HUMAN RIGHTS RESEARCH COUNCIL (WHRRRC)

DEDICATED TO HUMAN RIGHTS

Accordingly, explain why disciplinary action should not be initiated against you for non-compliance with the Organization's directions and why you should not be demoted from your present position.

3. Regarding	Mandatory	Monthly	Activities:
The Organization has issued clear directions that every State and District Unit must organize at least one awareness camp and one special day programme every month. If you or your team have failed to organize these mandatory activities, or if no report thereof has been submitted to the Organization, such conduct constitutes serious negligence in the discharge of your organizational responsibilities. Accordingly, explain why disciplinary action should not be initiated against you for non-compliance with the Organization's directions and why you should not be demoted from your present position.			

You are required to prepare your reply on your **official letterhead**, duly sign it, and submit a scanned copy from your **registered email address** to the Organization's official email address **INFO@WHRRRC.ORG** on or before **05 August 2026, 5:00 PM**. In the event that no explanation is received within the stipulated time, it shall be presumed that you have nothing to state in your defence and that you admit your inactivity and non-compliance with the Organization's directions. In such circumstances, the Organization shall be at liberty to initiate **ex parte disciplinary proceedings** on the basis of the available records. Upon receipt of your explanation, the matter shall be placed before the **National Disciplinary Committee** for consideration. If deemed necessary, the Committee may also provide you with an opportunity for a personal hearing through video conferencing or any other appropriate mode. The decision taken by the National Disciplinary Committee, based upon the available records, your written explanation, and the hearing (if any), shall be final and binding upon the Organization. The Committee comprises a panel of **Retired Judges and Senior Advocates**.

Yours faithfully,

Advocate, Ranjana Dixit
National Joint Secretary
World Human Rights Research Council, Delhi

